कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा, म.प्र.
पॉचवीं मंजिल, सतपुड़ा भवन, भोपाल

//आदेश//

भोपाल, दिनांक 13.02.2009

क्रमांक 50/17/आउशि/2009 :: इस कार्यालय द्वारा जारी आदेश क्रमांक 16/17/आउशि/09 दिनांक 29.01.09 में निर्देशित किया गया है, कि लाभान्वित विद्यार्थी के नाम पर चैक बनाने के स्थान पर संबंधित विद्यार्थी द्वारा निकटतम भारतीय स्टेट बैंक में खोले गए खातें में राशि जमा करावें।

1 उपर्युक्त व्यवस्था में एतद आंशिक संशोधन कर यह सुनिश्चित किया जावे कि जिन स्थानों पर स्टेट बैंक की शाखा न हो वहां ऐसे राष्ट्रीयकृत बैंक का चयन किया जावे जहां कोषालय द्वारा जारी किये गये चैक बैंक में स्वीकार किये जाते हों, वहां छात्रहित मे ऐसी बैंक में भी विद्यार्थी खाता खोल सकते हैं।

2 सेमेस्टर पद्धति में स्वाध्यायी घोषित विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति की पात्रता नहीं रहेगी।

3 विद्यार्थी के प्रथम सेमेस्टर का परीक्षा परिणाम अनुत्तीर्ण होनें पर परीक्षा परिणाम के घोषित होनें के पूर्व दिनांक तक नियमानुसार छात्रवृत्ति देय होगी। आगामी माह से निरंतरता न होनें के कारण छात्रवृत्ती की पात्रता नहीं होगी।

क्रमांक 2 एवं 3 में दर्शाये निर्देश उच्च शिक्षा विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की छात्रवृत्ति के लिए ही लागू होंगे।

(आशीष उपाध्याय)
आयुक्त,
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन

पृ क्र/51/आउशि/2009 भोपाल, दिनांक 13.02.2009

प्रतिलिपि:-

1 निज सहायक/सचिव, माननीय मंत्रीजी, उच्च शिक्षा।
2 प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय, भोपाल।
3 संबंधित क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, क्षेत्रीय कार्यालय, म प्र।
4 संबंधित प्राचार्य शासकीय/अशासकीय महाविद्यालय, मध्यप्रदेश की।

.... की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु।

(आशीष उपाध्याय)
आयुक्त,
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन

notsh06.doc